नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1979

सा० का० नि० 1461:—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा श्रीमती सुचेता कृपालानी अस्पताल, नई दिल्ली में समूह 'घ' के पदों पर भर्ती करने की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1979 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे ।

2. उपायोजन :—ये नियम इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ-1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वहीं होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हतायें आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं ।

5. चपरासी के पद पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को होम गार्ड के रूप में प्रशिक्षण देना :—

इन नियमों में किसी अन्य बात के होते हुए भी इन नियमों के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों को चपरासी के पद पर नियुक्त किया जाएगा उनमें से प्रत्येक को तीन वर्ष की अवधि के लिए होम गार्ड का अनिवार्य प्रशिक्षण लेना होगा— परन्तु कमांडेन्ट जनरल, होम गार्ड किसी व्यक्ति विशेष की प्रशिक्षण अवधि में उसके कार्य द्वारा प्राप्त किए गये प्रशिक्षण के स्तर के संदर्भ में इस अवधि को घटाने के कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड कर उसे दो वर्ष कर सकता है ।

6. अनर्हता :—कोई व्यक्ति—

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं है/होगा ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

7. छूट देने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहां वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है ।

8. व्यावृत्ति :—इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. चपरासी/संदेश-वाहक	16	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' अराजपत्रित	196-3-220-द० रो०-3-232 रु०	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच । (सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिलनीय) नोट :—आयुसीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय की उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिए कहा गया हो ।	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण

1	2	3	4	5	6	7
18. शव परीक्षा परिचर	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' अराजपत्रित	210-4-250-द०रो०-5-270 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
19. शव संलेपक	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' अराजपत्रित	196-3-220-द०रो०-3-232 रुपये	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के मामले में 35 वर्ष तक शिथिलनीय)। नोट : आयु सीमा अवधारित करने के निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वह अन्तिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिये कहा गया हो।	वांछनीय : 5वीं कक्षा पास
20. टैनिस मार्कर	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' अराजपत्रित	196-3-220-द०रो०-3-232 रुपये	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष तक। (सरकारी कर्मचारियों के लिये 35 वर्ष तक की छूट है)। नोट :—प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वही अन्तिम होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिये कहा गया हो।	अनिवार्य :— आठवीं कक्षा उत्तीर्ण। (2) व्यवसाय में एक वर्ष का अनुभव। नोट :—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव संबंधी अर्हतायें सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है यदि सक्षम प्राधिकारी चयन की किसी अवस्था में यह समझता हो कि इन अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्त पदों के भरने के लिये इन जातियों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	ऐसे सफाई वालों/शव संलेपकों और पशु परिचरों में से जिनकी इस ग्रेड में छः वर्ष की नियमित सेवा हो गई हो।	1. न्यायिक चिकित्सा शास्त्र विभाग के आचार्य और विभागाध्यक्ष—सदस्य 2. श्रम कल्याण अधिकारी—सदस्य 3. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने के लिये सदस्य के रूप में एक अधिकारी सहयोजित करना—सदस्य	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. शरीर रचना विज्ञान के प्राध्यापक—अध्यक्ष 2. श्रम कल्याण अधिकारी—सदस्य 3. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने के लिये सदस्य के रूप में एक अधिकारी सहयोजित करना—सदस्य	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. प्रोफेसर इंचार्ज खेलकूद—अध्यक्ष 2. श्रम कल्याण अधिकारी—सदस्य 3. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने के लिये सदस्य के रूप में एक अधिकारी सहयोजित करना—सदस्य	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(1) होस्टल वार्डन—अध्यक्ष (2) मुख्य प्रशासन अधिकारी—सदस्य (3) उप-चिकित्सा अधीक्षक—सदस्य (4) श्रम कल्याण अधिकारी—सदस्य (5) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य के रूप में एक अधिकारी सहयोजित करना।	लागू नहीं होता

[सं० ए० 12018/4/78-जी०/एम० ई० (यू० जी०) डेस्क]

जी० जी० के० नायर, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 1979

G.S.R. 1461.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'D' posts in the Lady Hardinge College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, Classification and Scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule aforesaid.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. Persons appointed as peons to undergo training as Home Guards.—Notwithstanding anything contained in these rules, every person appointed as a peon under these rules shall undergo compulsory training as Home Guard for a period of 3 years ;

Provided that the Commandant General Home Guards, may having regard to the performance of and standard of training achieved by any person during the period of training, reduce such period to two year for reasons to be recorded in writing.

6. Disqualifications—No person—

(a) who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage, with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post ;

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do ,it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for Group 'D' post in Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, New Delhi.

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Peon/Messenger	16	General Central Services Group 'D' Non-Gazetted	Rs.196-3-220-EB-3-232.	Not applicable.	Between 18—25 years. (Relaxable upto 35 years in the case of Government servants.) Note: The crucial date for determination of age limit in each case will be the last date upto which employment Exchanges are asked to nominate candidates.	Eighth Class Pass.

1	2	3	4	5	6	7
19. Embalmer	2	General Central Services Group 'D' Non-Gazetted	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable	Between 18-25 years. (Relaxable upto 35 years in the case of Government servants.) Note : The crucial date for determination of age limit in each case shall be the last date upto which Employment Exchanges were asked to nominate candidates.	Desirable : Fifth Class Pass.
20. Tannis Marker	1	General Central Services Group 'D' Non-Gazetted.	Rs.196-3-220-EB-3-232.	Not applicable	Between 18—25 years. (Relaxable upto 35 years in the case of Government servants.) Note—The crucial date for determination of age limit in each case shall be the last date upto which Employment Exchanges were asked to nominate candidates.	Essential : (1) Eighth Class Pass. (2) One year's experience in the profession. Note :—The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	1. Professor of Anatomy Department —Chairman 2. Labour Welfare Officer —Member 3. One officer to be co-opted as a member to represent the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes —Member	Not applicable
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	1. Professor-in-charge Sports—Chairman 2. Labour Welfare Officer —Member 3. One officer to be co-opted as a member to represent the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes —Member	Not applicable